दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी कम्पनी ने वादग्रस्त भूमि कोलर उत्पादन हेतु पट्टे पर ली है। प्रार्थी कम्पनी का वादग्रस्त भूमि में हित निहित होने से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी कम्पनी को पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित वाद शीर्षक दिनांक 05/02/2025 को पेश हो।

02/2025 पत्रावली पेश हुई। बमीत वादी द्वारा पत्रावली में संशोधित वाद शीर्षक दिनांक 14/02/25 को पेश है।

02/2025 पत्रावली पेश हुई बमीत वादी द्वारा बमीत वादी के संशोधित शीर्षक पेश करने बाबत प्रार्थना पत्र दिया जाकर मिलता दिनांक 21/02/25 को पेश है।

03/2025 पत्रावली पेश हुई। बमीत वादी द्वारा बमीत वादी के संशोधित शीर्षक पेश करने बाबत आवेदन पत्र दिया जाकर मिलता दिनांक 28/02/25 को पेश है।

03/2025 पत्रावली पेश हुई बमीत वादी द्वारा बमीत प्रतिवादी सरला कावरी किस्म पत्रा पत्रावली वादी पक्षकारों द्वारा शामिल दिनांक 08/04/25 को पेश है।

04/2025 पत्रावली पेश हुई बमीत वादी द्वारा पत्रावली वादी संशोधित शीर्षक दिनांक 02/05/25 को पेश है।

04/2025 बमीत वादी के निदेशक तलवी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब होकर आज पेश हुई। बमीत वादी के प्रार्थना पत्र बाबत वाद विड्रॉल करने बाबत पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। बमीत वादी के निवेदन पर वाद अ.वि. संख्या अगली तारीख दिनांक 12/05/25 पक्षकार केवल शुमार है। नम्बर दो कम करके आकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(सुखदेव) तहसीलदार

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)